तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए

11.05.2026

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अपीलांट वकील उपस्थित। पूर्व में दिनांक 13.04.2026 को इस प्रकरण में बहस सुनी गई थी। विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि–

1. ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड बी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2901 रकबा 0.22है० चाही A, खसरा नम्बर 2938 रकबा 0.18 है0 चाही A, खसरा नम्बर 2940 रकबा 0.10 है० चाही A, कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि किस्तुरी पत्नि रामनारायण माली निवासी शिवाड की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि स्थित है। खातेदार किस्तुरी पत्नि रामनारायण माली निवासी शिवाड की मृत्यु हो चुकी है। एवं खातेदार किस्तुरी माली की मृत्यु के बाद उसकी छोडी हुई कृषि भूमि का विरासत का नामान्तकरण संख्या 588 निर्णय दिनांक 03.11.2015 ग्राम पंचायत शिवाड बाबतृ ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर द्वारा उसके विधिक उत्ताराधिकारी दुर्गालाल पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/5 भाग, छीतर पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/5 भाग, कमला पुत्री रामनारायण हिस्सा 1/1 भाग, बदाम पुत्री रामनारायण हिस्सा 1/5 भाग, सुशीला पुत्री रामनारायण हिस्सा 1/1 भाग सा0 देह के नाम खातेदारी में दर्ज 5 कर जामाबंन्दी ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड सम्वत 2070–2073 में दर्ज कर दिया जिसमें अपीलार्थी की मॉ परसादी पुत्री रामनारायण माली हिस्सा भाग की जगह कमला पुत्री रामनारायण माली हिस्सा 1/5 भाग दर्ज कर दिया, जो गलत है, क्योंकि उक्त विवादित नामान्तरकरण ग्राम पंचायत शिवाड़ द्वारा बिना वारिसान की सही जांच किये ही जल्दबाजी में भरा जाकर सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी की मां परसादी पुत्री रामनारायण पत्नि मांगीलाल माली निवासी शिवाड़ हाल निवासी बौंली, जिला सवाई माधोपुर की मृत्यु दिनांक 17.05.2020 को हो जाने से उसकी छोड़ी हुई कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो अपीलार्थी की मां का नाम कमला पुत्री रामनारायण माली दर्ज कर रखा था, जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.05.2024 को हल्का पटवारी शिवाड़ को विरासत के नामान्तरकरण में दर्ज गलत नाम को शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही किये जाने हेतु अवगत कराया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा जमाबंदी की नकल एवं नामान्तरकरण की नकल लेकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है–

- मातहत अदालत सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 03.11.2015 मृतक के उत्तराधिकारियों की मजमें आम में जांच के बिना पारित किया है, जो अपीलार्थिया की मां परसादी की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है।

- मातहत अदालत सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड़ ने मृतक किस्तूरी पत्नि रामनारायण माली के विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलार्थिया की मां परसादी पुत्री रामनारायण की जगह कमला पुत्री रामनारायण माली दर्ज कर दिया, मृतक किस्तूरी माली का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:–

किस्तूरी पत्नि रामनारायण माली (फोत)

दुर्गालाल	छीतर	परसादी	बदाम	सुशीला
पुत्र	पुत्र	पुत्री (फोत)	पुत्री	पुत्री

इस प्रकार मृतक किस्तूरी की पुत्री कमला न होकर परसादी माली है, एवं परसादी माली की मृत्यु हो जाने के कारण वादिया उसकी विधिक उत्तराधिकारीणी है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण कमला माली की हद तक निरस्त किये जाने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:42 IST
Reason: SelfAttested

योग्य है।

❖ अतः नामान्तरकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 588 निर्णय दिनांक 03.11.2015 सरपंच ग्राम पंचायत शिवाड़ बाबत् शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की मां का नाम कमला पुत्री रामनारायण माली की जगह परसादी पुत्री रामनारायण माली दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

मैंने अपीलांट के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया तथा अपीलांट वकील द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील के समर्थन में निम्नलिखित गवाहों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, जो निम्नानुसार है–

1. दुगाशंकर पुत्र रामनारायण माली, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. बदाम देवी पुत्री रामनारायण माली पत्नि पांचूलाल माली निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

उक्त दोनों गवाहों/साक्षियों द्वारा किस्तूरी की पुत्री परसादी के सीान पर कमला गलत होना स्वीकार किया है, जिससे परसादी का नाम गलत होने की पुष्टि होती है, साथ ही अपीलांट वकील द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा प्रसादी के मृत्यु प्रमाण पत्र से भी परसादी के पिता का रामनारायण एवं माता का नाम करस्तूरी होने की पुष्टि होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 588 दिनांक 03.11.2015 ग्राम पंचायत शिवाड को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक किस्तूरी पत्नि रामनारायण माली की पुत्री कमला (नामान्तरकरण अनुसार) के नाम की सही जानकारी कर एवं उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.05.14 13:57:42 IST
Reason: SelfAttested